



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/अधि.अभि.(रिंगरोड़-प्रथम)/यूआई.डी:1001901/2020/डी-48

दिनांक:27-07-2020

उप वन संरक्षक,
वन्यजीव चिड़ियाघर,
जयपुर

विषय:- कनक वृन्दावन से जयगढ-नाहरगढ किले रोड़ जंक्शन तक रोप-वे निर्माण हेतु फोरेस्ट ब्लॉक आमेर के वन क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1982 (2) के तहत 1.51 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- 1. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, होफ,राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक F-14(419/37)2020/ROADS/FCA/PCCF/EDS-1 Dated 15.07.2020
2. आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ 3()/ तकनीकी/जू/2020-21/2684 दिनांक 10.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि कनक वृन्दावन से जयगढ-नाहरगढ किले रोड़ जंक्शन तक रोप-वे निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव क्रमांक FP/RJ/other/26838/2017 के Part-II को पूर्ण कर PARIVESH, PORTAL पर ऑनलाइन अग्रेषित कर दिया गया था एवं मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव कार्यालय द्वारा दिनांक 09.07.2020 Part-III को पूर्ण कर कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, होफ,राजस्थान, जयपुर कार्यालय को प्रेषित किया गया था। परन्तु उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक F-14(419/37) 2020/ROADS/FCA/PCCF/EDS-1 Dated 15.07.2020 द्वारा 9 बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण हेतु मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव के माध्यम से आपके कार्यालय को ऑन लाईन प्रेषित किया गया है।

अतःउपरोक्त प्रकरण Online Parivesh Portal में बिन्दु संख्या 1,2,4 एवं 5 का जवाब निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	बिन्दु संख्या	जवाब
1	1.Jamabandi of NFL 1.51 ha. is not given.	पत्र के साथ जमाबन्दी की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")
2	2. The area of NFL land 1.51 ha., is short in KML. The area should be equal or more at google earth.	पत्र के साथ NFL की KML File में संशोधित एरिया 1.51 हैक्टेयर के बराबर करके अपलोड किया जा रहा है।
3	4. DGPS map of NFL is not proper. It is just google image.	पत्र के साथ Google Image को हटाकर NFL का DGPS मानचित्र की प्रति संलग्न है।(परिशिष्ट "ब")
4	5. TOPO sheet of NFL land is not given.	NFL की टोपो शीट को बराबर करके संलग्न की जा रहा है(परिशिष्ट "स")

इसके साथ ही यह भी उल्लेख है कि बिन्दु संख्या 6 में जविप्रा द्वारा पूर्व में पत्र क्रमांक जविप्रा/अधि.अभि.(रिंग रोड़-प्रथम)/यूआई.डी:1001901/2019/डी-152 दिनांक 16.9.2019 के माध्यम से पूर्व में ही स्पष्ट दिया गया था कि वन विभाग द्वारा जो 1.51 हैक्टेयर वन भूमि

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - +91-141-2569696 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 5143 फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : avinashsharma.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

रोप वे निर्माण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रत्यावर्तित की जावेगी उसके एवज में वन विभाग को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि 1.51 हैक्टर, ग्राम लांगडियावास, तहसील जमवा रामगढ, जयपुर में दिया जाना प्रस्तावित है। इसकी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर द्वारा दिया जा चुका है। चूँकि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एफसीए के अन्तर्गत अधिरोपित समस्त शर्तों की पालना की जाएगी, इसलिए टिकटों की बिक्री से आय में वन विभाग का हिस्सा नहीं बनता है (संलग्न परिशिष्ट "द")।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण में बिन्दु संख्या 3,6,7,8 एवं 9 की पूर्ति शीघ्र ही करवाने का श्रम करावे।

22/7/2020

अधिशायी अभियन्ता (रिंग रोड-प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Hon'ble
Pl. upload copy of Supreme Court
Clearance

Forwarded 27/7/2020
(सुदर्शन शर्मा)
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
चिड़ियाघर, जयपुर

Kindly find herewith copy of approval of Hon'ble Supreme Court order for wild life clearance. Same is being upload on parivash portal.

Def(wild life)

27/7/2020

अविनाश शर्मा
अधिशायी अभियन्ता-रिंग रोड(प्रथम)

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - +91-141-2569696 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 5143 फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : avinashsharma.jda@rajasthan.gov.in